



18/11/8 फतावली पेश हुइ आवाज लगवाइ गइ अतिकमी की ओर से पूरबीलाल (फु) उपस्थित आथा है आज श्रीमान पीएसोन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दोहरे पर पधार हुइ है फतावली दिनांक 25/11/8 को पेश हो।

अतिकमी

25/11/8 फतावली पेश हुइ आवाज लगवाइ गइ अतिकमी अतिकमी की ओर से उखना फु उपस्थित आथा है अतिकमी के द्वारा जबाब पेश करने हेतु व्यर्थ चाक्षा है। आज श्रीमान पीएसोन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दोहरे पर है। अग्रिम कार्यवाही हेतु फतावली दिनांक 1/12/8 को पेश हो।

उखना (फु-अथरम)

1/12/8 फतावली पेश हुइ आवाज लगवाइ गइ अतिकमी की ओर से फु पूरबीलाल उपस्थित आथा है फतावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/12/8 को पेश हो।

पूरबीलाल उ

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दीसा)

12/12/8 फतावली पेश हुइ आवाज लगवाइ गइ अतिकमी की ओर से पूरबीलाल (फु) उपस्थित आथा है अतिकमी के फु द्वारा प्रार्थना फु पेश कर कज्जा दाना / कसल काटना देशिया गथा है तथा पटवारी हल्का के वधान लिखे गथे तथा अतिकमी पूरवातवती अतिकमी की फतेवली पेश की गइ जो शामिल फतावली है फतावली वास्ते विषय दिनांक 19/12/8 को पेश हो।

पूरबीलाल (फु)

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दीसा)

हुकूमत किये गये मद्र अतिरिक्त  
जिस

26/2/18

फावली पेश हुई। आवज लागवाइ गई।  
अतिकमी की ओर से उसका फु  
धृश्वीलाल उपस्थित आया है। अतिकमी  
द्वारा कका छोडने हेतु धारण का लिखत  
दिशा जो संलग्न फावली है। फावली  
दिनांक 26/2/18 को पेश हो।

सुशीलाल  
(54)

तहसीलदार  
तहसील-मठगा (बीसा)

26/2/18

फावली पेश हुई। आवज लागवाइ गई।  
अतिकमी की ओर से फु उपस्थित आया है।  
अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमी  
जका स्वीकार किया गया है। अतः गाम  
मठगांव की अतिकमी भूमि से अतिकमी  
को कौटिक रूप से वेफवला किया जाता  
है। विस्तृत विवरण पृथक से लिखा जाकर  
संलग्न फावली है।

सुशीलाल  
(54)

तहसीलदार  
तहसील-मठगा (बीसा)

मिसल नम्बर 224/17 तारीख रजु 22/12/17 रिपोर्ट पटवारी हल्का 608/1 अनाम  
 श्री जशराम पुत्र मांजरा जाति मीना निवासी जयगांव तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956


निर्णय:-

दिनांक- 26/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे सम्क्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री जशराम ने ग्राम जयगांव को भूमि ख.न. 447 रकबा 0.01 किस्म गेहूँ/मुरास्ता फसल सरसों रोदे/खरीक संवत् 20.74 में सरसों कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

उक्त आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 447 रकबा 0.01 किस्म गेहूँ/मुरास्ता वाले ग्राम जयगांव से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.447 या 50 गुणा 22 रु शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल सरसों को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को ~~सूट~~/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

  
 तहसीलदार  
 तहसील-महवा (बीर)।

रजिस्टर माघ के पत्र 61 पर  
 वर्ष 2017-18 में  
 श्री राजी लामा  
 श्री जय काशी  
 दिनांक 8/3/18  
 2222  
 Pashy  
 तहसील-महवा